i:kôFku

वन–विभाग की लेखांकन प्रक्रिया अन्य विभागों की लेखांकन प्रक्रिया से काफी हटकर है। लेखा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या संबंधित संवितरक पदाधिकारी के पदनाम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत नाम से चलती है। अन्य कार्य–विभागों के प्रमंडलों, जिनमें, यथा वन–प्रमंडल चेक से भुगतान होता है, महालेखाकार के कार्यालय से प्रतिनियुक्त लेखाकार भी होते हैं परन्तु वन–प्रमंडल में लेखाकर्म करने वाले लिपिक संवर्ग के व्यक्ति ही होते हैं। वानिकी में लेखा एवं प्रक्रिया की विशिष्टता के कारण ही वन–लेखा का संहिताबद्ध मूल आधार भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–संपरीक्षक द्वारा बनायी गयी लेखा–संहिता, 1940 (अद्यतन संशोधित) के भाग–III : विभागीय लेखायें के खण्ड– III वन लेखायें–अध्याय IV से VII एवं आठ प्रपत्रों में अलग से दिया गया है। भा.व.से. के पदाधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा की पूरी प्रक्रिया बिहार–सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ./20 दिनांक–28.2.1990 में है जिसके द्वारा भा.व.से. (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1989 अधिसूचित है, जिसके परिशिष्ट–I अनुभाग ''ख'' : प्रक्रिया एवं लेखायें में 12 पुस्तकों का पाठ्यक्रम (course) निर्धारित है जिसमें प्रथम तीन निम्न हैं :–

a. Forest Account Code
b. Forest Department Code
c. The Civil Account Code

वास्तविकता है कि उपर्युक्त तीनों पुस्तकें क्रमशः अन्तिम बार 1931, 1913 एवं 1925 में छपी थीं और अभी दुर्लभ हैं। भा.व.से. एवं झा.व.से. के पदाधिकारियों के अतिरिक्त, क्षेत्र वन–पदाधिकारी/वनपाल एवं लिपिक/सहायक संवर्ग के कर्मचारियों को भी विभागीय वन–लेखा परीक्षा पास करनी होती है तभी वे सेवा में संपुष्ट होते हैं।

2. झारखंड में वन–विभाग में भा.व.से. के पदाधिकारी विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ की राशि खर्च करते हैं, जिसमें कार्यालय से संबंधित व्यय के अतिरिक्त प्रमुखतः वनरोपण, वनवर्द्धनीय कार्य, भवन एवं पथ निर्माण एवं अनुरक्षण आदि हैं। नवनियुक्त क्षेत्र वन–पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में वन–लेखा एवं प्रक्रिया पढ़ायी जाती है परन्तु यह आश्चर्य की बात ही है कि भा.व.से. या झा.व.से. को Professional प्रशिक्षण संस्थानें यथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून एवं राज्य वन सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, कर्सियाँग तथा देहरादून में वानिकी से संबंधित सभी विषयों को पढ़ाया एवं बताया तो जाता है सिवा विभाग में प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के। भारतीय वन सेवा (परीक्ष्यमानों की अन्तिम परीक्षा) विनियमनें, 1968 (यथा संशोधित, 1983) में वर्णित प्रशिक्षण विषयों में यद्यपि Forest Economics and Valuation है परन्तु वह वानिकी अर्थशास्त्र से संबंधित है जिसमें वन–लेखा एवं प्रक्रिया विषय सम्मिलित नहीं है। यद्यपि सरकार की अधिसूचना संख्या–1101 दिनांक–12.3.1996 के अनुसार भा.व.से. के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों से क्षेत्र (Range) एवं प्रमंडल प्रशिक्षण में उम्मीद की जाती है कि वे उस अवधि में वन–लेखा एवं प्रक्रिया पूरी तरह समझ जाँय, परन्तु किससे? कोई लेखापाल/कोई पदाधिकारी ऐसा वन–लेखा का जानकार तो हो जो बताये! परामर्शदाता (mentor) का भी वन–लेखा ज्ञान कितना है?

3. यद्यपि वन–विभाग के कार्यकलाप आर्थिक सेवाओं में आते हैं, परन्तु मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अधिकांश वन–पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का लेखांकन ज्ञान एकदम सतही है, जिससे लेखांकन प्रक्रिया, अनुश्रवण प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रायः अनुसरण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जब करोड़ों की राशि विभागीय कर्मियों के माध्यम से ही कार्य कराकर खर्च की जाती है और केवल बिक्री एवं सामानों की आपूर्ति हेतु ही निविदा/संविदा की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो धन–संव्यवहार की काफी मात्रा रहने के कारण लेखांकन प्रक्रिया की जानकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान में वन–पदाधिकारियों द्वारा लेखा एवं लेखांकन प्रक्रिया ही सबसे उपेक्षित भाग है जिसपर उचित ध्यान आवश्यक है। सूचना अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने पर यह और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।

4.or\eku fLFkfr e\ foHkkx jkf'k&0;; d\ ekey\ e\ d\oy fo'okl ij gh py jgk g\ vkj le;kuqlkj dk;Z dh tkp@Hkqxrku dh tkp ,o\ dk;kZ dk vuqJo.k ugh gk\ ikrk gSA प्रमंडल कार्यालय में भी क्षेत्र से आयी लेखा की सही ढ़ंग से जाँच नहीं हो पाती है। महालेखाकार की भी बहुत शिकायतें शीर्ष–वर्गीकरण, देर से लेखा प्रेषण आदि के संबंध में आती रहती हैं। बहुत से सम्परीक्षण (Audit) प्रतिवेदन लेखांकन प्रक्रिया की सही पद्धति नहीं अपनाये जाने के कारण भी हैं और लंबित हैं। प्रमंडलीय लेखा की स्थिति यह है कि 31 मार्च तक की लेखा जो 5 मई तक महालेखाकार को पहुँच जानी चाहिये; कई स्मारों, धमकियों, टेलीफोन निर्देशों आदि के बाद काफी देर से जाती है और वह भी बहुत से कथित advance voucher (नया बोलचाल नाम : बिना काम हुए बने वस्तुतः फर्जी प्रमाणक) के साथ। क्षेत्र वन–पदाधिकारी की लेखा के साथ में भाउचर के अतिरिक्त मापी–पुस्तिका, वन–हस्तक प्रपत्र आदि भी प्रमंडल में प्रायः नहीं आते। लेखापाल का काम लेखा की जाँच करना नहीं होकर सबों को जोड़कर अर्थात् समामेलित कर जल्दी–जल्दी दो दिनों के अन्दर महालेखाकार को मासिक लेखा भेज देनी है। कैश–कौपी, प्रमाणक में क्या लिखा है? एम. बी. क्या कहता है? किसी को पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। वन–प्रमंडल पदाधिकारी को जल्दीबाजी में दिमाग बन्द कर, आँख मूँद कर लेखापाल द्वारा लगाये गये उपर–नीचे मोहर के बीच चिड़ियाँ बैठाने का काम ही रह गया है।

5. स्थिति की समझ एवं जानकारी सबको हैं परन्तु कोई करे क्या? वानिकी में लेखांकन प्रक्रिया पर पुस्तक तैयार करने का अनुरोध कई वनपालों सहित बहुत से वरीय वन–पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से किया जाता रहा है। सामग्रियाँ भी लगभग एकत्र कर ली गयी थीं। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 15 अगस्त 2006 को सचिव, वन एवं पर्यावरण श्री एन. एन. पाण्डेय, भा.प्र.से. ने श्री मुखत्यार सिंह, भा.प्र.से., प्रधान–सचिव, कार्मिक एवं राजभाषा विभाग को मेरे पूर्व प्रकाशन ^^>kj[kM dh lf{kIr ou&fof/k;k** की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं ने इन्हें एक और किताब लिखने को कहा है। उसी समय अपनी तीसरी पुस्तक पर काम बीच में ही छोड़कर वन–विभागीय लेखांकन–प्रक्रिया पर किताब लिखने का विचार अन्तिम रूप से मेरे द्वारा कर लिया गया था जिसमें मेरे बड़े पुत्र श्री विधुशेखर की प्रेरणा ने इस पुस्तक को यह आकार दिया।

6. इस पुस्तक का मूल आधार y\[kk lfgrk&1940 Hkkx&III : foHkkxh; y\[kk;\ के [k.M&III : ou–y\[kk;\ ही है परन्तु इस संहिताबद्ध मूल प्रक्रिया के इतिहास के साथ इस की हर धारा पर कार्यप्रणाली, जो आगे के महालेखाकार के विभिन्न आदेशों, निदेशों एवं सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न संहिताओं, हस्तक यथा वन–विभागीय संहिता, वन–हस्तक, वित्तीय नियमावली, कोषागार–संहिता आदि तथा विभिन्न समयों पर सरकार के वित्त–विभाग एवं वन–विभाग द्वारा निर्गत निदेशों में वर्णित हैं, का एकत्रीकरण कर, उनमें से वन–लेखा से संबंधित भाग को आवश्यकतानुसार छाँटकर/अलगकर, फिर उनको समेकित रूप में मंतव्य के साथ पुस्तकाकार में प्रकाशित करना अतिकठिन कार्य था। फिर भी यह प्रयास किया गया है कि इतनी जानकारी अवश्य उपलब्ध करा दी जाय कि सही रूप से वन–विभागीय कार्य निष्पादन में सुविधा हो।

दीपावली
17.10.2009
राँची।

(नरेन्द्र मिश्र)

iR;k[;ku (Disclaimer)

1. यह पुस्तक लेखांकन के तकनीकी शब्दों की सरकारी एवं वन–विभागीय परिपेक्ष्य में निर्वचन के साथ लेखा संबंधी संवैधानिक प्रावधान से प्रारंभ होकर सरकार एवं वन–विभाग से होते हुए व्यक्तिगत मामलों पर समाप्त होती है। इतने विशाल आयाम को कुछ पन्नों में समेटने में संभावना है कि इसमें बहुत सी कमियाँ/अशुद्धियाँ रह गयी हों। मैं भी लेखा में प्रशिक्षित कोई पदाधिकारी नहीं हूँ और न ही मुझे लेखा संबंधी कोई डिग्री ही प्राप्त है। ऐसे में वन–विभाग की लेखांकन–प्रक्रिया पर विशिष्ट रूप से पुस्तक लिखना मैं अपना साहसिक प्रयास मानता हूँ।

2. मेरे द्वारा वानिकी लेखांकन सीखने एवं समझने का कारण केवल मेरा प्रयास और मेरी परिस्थितियाँ ही हैं। अगस्त 1981, राँची पश्चिमी वन–प्रमंडल पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष (वर्तमान वन–प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची का कार्यालय कक्ष), वन–प्रमंडल पदाधिकारी श्री पी. के. सेन ने कहा, ''मिश्रा! Accounting Procedure सीखना हो तो Accountant रामवृक्ष बाबू के टेबुल पर साथ बैठो और सीखो। चुप्पा और मूड़ी डूबाकर काम करनेवाला यह व्यक्ति Forest Accounts का बहुत बड़ा जानकार है।'' भा.व.से. के परीक्ष्यमान–पदाधिकारी ने इसका अनुगमन किया, रामवृक्ष बाबू (श्री रामवृक्ष प्रसाद) के साथ बैठकर। बाद में कुछ महीने बाद वन–प्रमंडल पदाधिकारी, राँची पश्चिमी प्रमंडल, श्री नरेन्द्र मिश्र ने उन्हीं अपने लेखापाल श्री रामवृक्ष प्रसाद से वन–प्रमंडल पदाधिकारी के रूप में भी वन लेखांकन–प्रक्रिया की गहन जानकारी प्राप्त की और फिर जब 1996 में वन–संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, राँची के रूप में मुख्य वन–संरक्षक एवं निदेशक, राजकीय व्यापार, बिहार, राँची श्री उपेन्द्र प्रसाद, भा.व.से. से राजकीय व्यापार की कार्य पद्धति, लेखा–प्रक्रिया एवं लाभ–हानि लेखा विश्लेषण की सही प्रणाली जाननी चाही तो आश्चर्य! उन्होंने उसे ही राजकीय व्यापार हेतु हस्तक बनाने का मौखिक निदेश दे डाला।

3. मैं लोहरदगा क्षेत्र के प्रभार में अपने क्षेत्र–प्रशिक्षण के रूप में रहा हूँ। सीखने के लिये नियंत्री–पदाधिकारी के निदेश पर स्वयं ही क्षेत्र लेखा लिखने एवं तैयार करने की कोशिश की थी। इसमें इसकी परेशानियाँ एवं प्रक्रिया को स्वयं अनुभव किया जिसने मुझे लेखा–प्रक्रिया सीखने एवं समझने के लिये और भी उत्प्रेरित किया। 1985 तक तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक की कोडरमा क्षेत्र की श्री एस. एस. प्रसाद IFS (Imperial Forest Service) की अपने हाथ से लिखी नगदी–बही उपलब्ध थी जिसे मैं ने देखा भी है। ऐसी ही बातों ने मुझे विभिन्न प्रमंडलों एवं अंचलों के प्रभार में रहते हुए वन–विभाग की लेखा–प्रक्रिया को हमेशा समझने, नये–नये कार्यक्रमों, नयी–नयी योजनाओं, परियोजनाओं एवं अनुयोजनाओं के आने और उनकी अपनी लेखा–प्रक्रिया होने और उसका वानिकी लेखांकन प्रक्रिया से तालमेल ढूँढ़ने में केन्द्रीय पुस्कालय एवं प्रधान मुख्य वन–संरक्षक कार्यालय के पुराने लेखा संबंधी पुस्तकों को पलटने को बाध्य करती रही हैं।

4. फिर भी इस पुस्तक को लिखने पर मैं अपने को वन–विभागीय लेखा–प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञानी नहीं मान सकता और न किसी से मेरी अपेक्षा है कि इसका आँख मूँदकर अनुसरण करे। प्रतिदिन बदलते नियमों/प्रक्रियाओं के कारण ऐसे परिवर्तन इसमें समावेश नहीं भी हो सकते हैं, जो अद्यतन एवं ज्यादा महत्वपूर्ण हों। अतः इसका उपयोग करनेवाले से अनुरोध है कि वे तत्समय प्रवृत अन्य नियमों, प्रक्रियाओं आदि का भी अवलोकन करते रहें एवं उसके परिपेक्ष्य में ही इसका अनुगामी बनें। इसके उपयोगकर्त्ता/पाठकगण यदि ऐसी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं उनका बहुत ही आभारी रहूँगा और अगले संस्करण में तदनुरूप सुधार करने का प्रयास करूँगा।

दीपावली
17.10.2009
राँची।

(नरेन्द्र मिश्र)

A few pages from the Book

Page 236

E. - FOREST REMITTANCES

Article 249- All sums (Revenue) paid into the treasury by a departmental officer or on his accounts should be debited to "Forest Remittances" irrespective of whether a remittance is made in cash or by a Cheque. Similarly, the value of all Cheque drawn should be credited to "Forest remittances" irrespective of whether or not they are cashed at once.

M-& ou&foi"k.k

/kkjk&249½ fdlh foHkkxh; inkf/kdkjh ;k mldh vkj ls dks"kkxkj esa tek dh x;h lHkh jkf'k;k (Revenue) ^^ou&foi"k.k** 'kh"kZ esa fodfyr dh tkuh pkfg;s pkgs og foi"k.k uxn esa ;k pSd }kjk fd;s x;s gksA blh izdkj dkVs x;s lHkh pSdksa dh jde ^^ou&foi"k.k** 'kh"kZ esa vkdfyr dh tkuh pkfg;s] pkgs os rqjar Hkquk;s tk;s ;k ughaA

0;k[;k&¼d½ इस संबंध में वन–लेखा संहिता 1931 के नियम की धारा–32 द्रष्टव्य है जो निम्नवत् है:–

Chapter IV - Receipts

A - Revenue Receipts

I - CASH RECEIPTS

32. All revenue received by officers of the Department should be paid into the treasury with as little delay as possible. Each remittance should be accompanied by the usual chalan form (Article 5, Civil Account Code, Volume I) supplied by the treasury in duplicate, and the receipted copy returned by the treasury should be treated as the voucher to the entry in the cashbook."

¼[k½ foi"k.k 'kh"kZ& इस संबंध में वन–लेखा संहिता, 1931 की धारा–19 भी द्रष्टव्य है जो कहती है–

"19...

All sums paid into the treasury by the departmental officer or on his behalf should be debited to ‘Forest Remittances’ even though the remittance be made by a cheque and not in cash (Article-34). Similarly the value of all cheques drawn should be credited to ‘Forest Remittances’ irrespective of whether or not they are cashed at once.--------------”

स्पष्टतः कोई भी राशि जो किसी वन–पदाधिकारी द्वारा कोषागार में राजस्व के रूप में जमा की जाती है उसे संबंधित वन–पदाधिकारी को एवं संबंधित कोषागार–पदाधिकारी को विहित विप्रेषण शीर्ष में जमा करनी चाहिये, जो वर्तमान में निम्नवत् हैं :–

8782 ½ **Cash Remittances** ¼uxn&foi"k.k½

103 & **Forest Remittances** ¼ou&foi"k.k½

I & **(Remittance into Treasury)** ¼dks"kkxkj esa foi"k.k½

कोषागार में भेजे गये सभी राजस्व को तबतक नगदी–बही में आकलित नहीं किया जा सकता है जबतक कोषागार से पारित एवं बैंक से प्राप्ति मोहर सहित चालान नहीं प्राप्त हो जाता है। कोषागार में भेजी गयी राशि आकलन पक्ष में दर्ज की जाती है और प्राप्त चालान को विकलन पक्ष में दर्ज किया जाता है। इन प्रविष्टियों को लाल स्याही से ही नगदी–बही में दर्ज किया जाता है। जैसा कि आगे बताया गया है कोषागार में प्राप्ति की मासिक विवरणी 'समेकित कोषागार प्राप्ति–रसीदें (Consolidated Treasury Receipts)' के रूप में भी वन–प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इसी तरह कोई भी चेक, जो कोषागार को विहित विवरणियाँ एवं पंजियों के साथ भुगतान प्राप्ति हेतु भेजी जाती है, भी नगद–विप्रेषणें के रूप में निम्न शीर्ष से उसकी राशि प्राप्त की जाती है:–

8782 % **Cash Remittances** ¼uxn&foiz"k.k½

103 & **Forest Remittances** ¼ou&foiz"k.k½

II & ¼**Forest Cheques)** ¼ou&pd½

काटे गये सभी चेकों को लाल स्याही से अविलम्ब चेक निर्गत करने वाले पदाधिकारियों द्वारा अपनी नगदी–बही में

Page 237

विकलन (Dr.) पक्ष में संबंधित कोषागार से प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये एवं आकलन (Cr.) पक्ष में जिसे चेक निर्गत किया गया है उनके नाम आकलित करना चाहिये। चेक प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी को प्राप्ति अपनी लेखा में विकलन पक्ष (Dr.) में दिखानी चाहिये। वास्तविक बैंक से भुगतान या कोषागार से पारित होने की तिथि तक इन प्रविष्टियों को लम्बित नहीं रखना चाहिये।

¼x½ jktLo dh izkfIr %&

वन–विभाग में राजस्व प्राप्ति की निम्न प्रक्रियागत पद्धतियाँ बनी है जिसके अनुसार ही राशि की प्राप्ति की जाती है :–

(i) जब राजस्व की प्राप्ति नगदी {यथा नगदी की परिभाषा प्रथम कक्ष की कंडिका 1.3 के 6 (क)} के रूप में हुई है और उस नगदी के विरूद्ध किसी तरह का अनुज्ञापत्र उसी समय निर्गत नहीं किया गया है तो उसके लिये सामान्य मुद्रा–पावती, अनुसूची संख्या–XVIII प्रपत्र संख्या 66–'क', में जो मनी–रसीद बुक में रहता है, को भरकर प्राप्तकर्त्ता को निर्गत करनी पड़ती है। यह मनी–रसीद तीन प्रतियों में आता है। बाद की दो प्रतियों में मनी–रसीद लिखने के पूर्व 'दोनों तरफ कार्बन' वाले कार्बन को रखकर लिखा जाता है जिसमें प्रथम एवं द्वितीय प्रतियों के पृष्ठ पर भी अंकन उल्टा उमड़ आये और आगे किसी कपट की संभावना नहीं हो। पहली प्रति राजस्व जमा करने वाले को देकर अन्य दो प्रतियों पर उक्त जमाकर्त्ता का हस्ताक्षर तिथि सहित लिया जाता है।

(ii) प्राप्त चालान के साथ प्राप्ति के प्रमाण में उपर्युक्त रीति से सामान्य मुद्रा–पावती निर्गत नहीं की जाती है परन्तु उसके बदले चालान संख्या, तिथि एवं कोषागार के नाम के साथ राशि का विवरण देते हुए चालान प्राप्ति प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

(iii) जो वन राजस्व नहीं हैं तथा विभिन्न तरह के ग़ैर–राजस्व जमा, यथा धारा 255 एवं आगे व्याख्या (च) प्राप्त नगद, के लिये भी उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया मनी प्राप्ति रसीद लिखनी एवं देनी है तथा संबंधित चालान हेतु प्राप्ति प्रमाणपत्र देना है।

(iv) सरकारी राजस्व प्राप्ति हेतु वन–विभाग के वनपाल, क्षेत्र वन–पदाधिकारी, प्रधान–लिपिक आदि प्राधिकृत हैं जो राजस्व प्राप्ति ''मुद्रा प्राप्ति–रसीद'' (Money receipt) देकर प्राप्त कर सकते हैं। कोषागार/बैंक में चालान से रूपया जमाकर एवं चालान को उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्तियों को हस्तगत कराकर भी राजस्व जमा किया जा सकता है। वनोपज का परिदान (delivery) तबतक क्रेता को नहीं किया जाना चाहिये जबतक उसका मूल्य न प्राप्त हो जाय। जहाँ एकमुश्त (lump-sum) बिक्री होती है वहाँ राशि की ज्यादा मात्रा देखकर प्रायः विक्रय–मूल्य को किश्तों में जमा करने का आदेश वन–प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है परन्तु वैसी स्थिति में भी प्राप्त मूल्य के समानुपातिक रूप से ही वनोपज मुक्त किया जाना चाहिये।

(v) वन–विभाग का राजस्व अब केवल वनोपज की बिक्री से ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके अन्य कई स्रोत हो गये हैं। काफी मात्रा में प्राप्तियाँ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ग़ैर–वानिकी उपयोग हेतु प्रयोक्ता अभिकरण से भी प्राप्त होती है परन्तु इसका अधिकांश भाग कैम्पा हेतु होता है जिसे भारत–सरकार द्वारा निर्धारित बैंक, कारपोरेशन बैंक, की दिल्ली सी.जी.ओ. शाखा की लेखा Compensatory Afforestation Fund : C.A.F., Jharkhand A/C C.A.1587 में बैंक–ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना है।

(vi) कुछ राजस्व राज्यसात् गैर–वनोपज के विक्रय, विभिन्न निजी वादों के प्रशमन, वन–पथ के व्यवहार, आरामशीन एवं वनागारों के निबंधन, स्थायी पौधशालाओं से पौधों/स्टम्प की बिक्री, अनुज्ञापत्र देने का शुल्क आदि से भी प्राप्त होता है।

(vii) वन–विभाग द्वारा उधार या पुस्त–अन्तरण द्वारा वनोपज की आपूर्ति/बिक्री नहीं की जा सकती है। विशेष मामलों यथा वन–विभागीय कोड की धारा–64 (ii) में वन–संरक्षक, वन–प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उधार पर वनोपज की आपूर्ति की जा सकती है जिसका विवरण पूर्व में कंडिका–2.20 में वन–पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में दिया गया है परन्तु भविष्य की समस्याओं से बचने के लिये उस प्रत्यायोजित शक्ति को समझ–बूझकर एवं पूर्ण विचारकर ही विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिये, न कि सामान्य स्थितियों में।